



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072021-228419  
CG-DL-E-22072021-228419

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405]  
No. 405]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2021/आषाढ 31, 1943  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2021/ASHADHA 31, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2021

**सा.का.नि. 503(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) और धारा 16 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का नाम कंपनी (निगमन) पांचवां संशोधन नियम, 2021 है।  
(2) ये दिनांक 01 सितंबर, 2021 को प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में, नियम 33 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
**“33क. अधिनियम की धारा 16(3) के अंतर्गत विद्यमान कंपनी को नए नाम का आबंटन।**

(1) यदि कोई कंपनी अपना नाम अथवा नया नाम, जैसा भी मामला हो, बदलने में असफल रहती है, अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत जारी निर्देश के अनुसार, ऐसे निर्देश जारी करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, शब्दों “ओआरडीएनसी” (जो “प्रादेशिक निदेशक का आदेश अनुपालन नहीं किया गया है” का संक्षिप्त रूप है) निर्देश पारित करने का वर्ष, क्रम संख्या और विद्यमान कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन), कंपनी द्वारा किए गए अतिरिक्त कृत्य अथवा कारबार के बगैर, कंपनी का नया नाम बन जाएगा तथा तदनुसार रजिस्ट्रार नए नाम की प्रविष्टि कंपनी के रजिस्टर में करेगा तथा प्ररूप संख्या आईएनसी-11सी में निगमन का नया प्रमाण-पत्र जारी करेगा:

परंतु यह कि प्रादेशिक निदेशक द्वारा निर्देश जारी होने की तिथि से तीन माह समाप्त हो जाने पर, उप-धारा (1) में उल्लिखित कुछ भी कंपनी द्वारा फाइल किए गए ई-फॉर्म आईएनसी-24 के मामले में लागू नहीं होगा तथा निपटान के लिए लंबित नहीं है, जब तक कि उक्त ई-फॉर्म को तत्पश्चात् अस्वीकार न किया गया हो।

(2) एक कंपनी जिसका नाम उप-नियम (1) के तहत बदला गया है, वह अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों का तत्काल अनिवार्य अनुपालन करेगी और विवरण "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अंतर्गत प्रादेशिक निदेशक का आदेश अनुपालन नहीं किया गया" कंपनी के नाम के नीचे, जहाँ कहीं भी इसका नाम मुद्रित, संयोजित या उत्कीर्ण किया जाए, कोष्ठक में उल्लिखित किया जाएगा:

परंतु यह कि बाद में यदि कंपनी अधिनियम की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार अपना नाम बदलती है तो ऐसे किसी विवरण का उल्लेख करना अपेक्षित नहीं होगा।

3. अनुलग्नक में, प्ररूप संख्या आईएनसी-11बी के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप संख्या आईएनसी-11सी



भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय

<कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का पता>

**प्रादेशिक निदेशक के आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण नाम परिवर्तन के अनुसरण में निगमन का प्रमाण-पत्र**

*[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 33क के अनुसरण में]*

कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): <सीआईएन>

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 16(3) के तहत कंपनी का नाम इस प्रमाण-पत्र की तारीख से (कंपनी का पिछला नाम) से बदलकर (कंपनी का नया नाम) किया गया है तथा यह कंपनी <शेयरों द्वारा सीमित/गारंटी द्वारा सीमित/असीमित कंपनी> है।

मेरे हस्ताक्षर के लिए <उस शहर का नाम जहाँ कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय स्थित है> में दो हजार को <कार्य मद के अनुमोदन का वर्ष शब्दों में> के <कार्य मद के अनुमोदन का महीना शब्दों में> की <कार्य मद के अनुमोदन की तिथि शब्दों में (अर्थात् प्रथम, द्वितीय आदि) > को दिया गया

<कार्य-मद का अनुमोदन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम>

<सहायक कंपनी रजिस्ट्रार/ उप कंपनी रजिस्ट्रार/कंपनी रजिस्ट्रार>

कंपनी रजिस्ट्रार

<कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का नाम>

मुहर:

कंपनी रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार

.....  
(राज्य)

कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मेल का पता:

<कंपनी का नाम>

<कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता>

[फा. सं. 1/13/2013 सीएल-V, खण्ड-IV]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 250(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए और संख्यांक सा.का.नि. 392(अ), तारीख 7 जून, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2021

**G.S.R. 503(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 16, and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Fifth Amendment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force from the 1<sup>st</sup> September, 2021.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014, after rule 33, the following rule shall be inserted, namely:-

**“33A. Allotment of a new name to the existing company under section 16(3) of the Act.** (1) In case a company fails to change its name or new name, as the case may be, in accordance with the direction issued under sub-section (1) of section 16 of the Act within a period of three months from the date of issue of such direction, the letters “ORDNC” (which is an abbreviation of the words “Order of Regional Director Not Complied”), the year of passing of the direction, the serial number and the existing Corporate Identity Number (CIN) of the company shall become the new name of the company without any further act or deed by the company, and the Registrar shall accordingly make entry of the new name in the register of companies and issue a fresh certificate of incorporation in Form No.INC-11C:

Provided that nothing contained in sub-rule (1) shall apply in case e-form INC-24 filed by the company is pending for disposal at the expiry of three months from the date of issue of direction by Regional Director, unless the said e-form is subsequently rejected.

(2) A company whose name has been changed under sub-rule (1) shall at once make necessary compliance with the provisions of section 12 of the Act and the statement, “Order of Regional Director Not Complied (under section 16 of the Companies Act, 2013)” shall be mentioned in brackets below the name of company, wherever its name is printed, affixed or engraved:

Provided that no such statement shall be required to be mentioned in case the company subsequently changes its name in accordance with the provisions of section 13 of the Act.”.

3. In the Annexure, after Form No.INC-11B, the following form shall be inserted, namely:-

Form No.INC-11C



**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**  
**Office of the Registrar of Companies**  
**< Address of the RoC Office >**

**Certificate of Incorporation pursuant to change of name due to Order of Regional Director not being complied**

*[Pursuant to rule 33A of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]*

Corporate Identity Number (CIN): <CIN>

I hereby certify that the name of the company has been changed under section 16(3) of the Companies Act, 2013 from <Last Name of the company>to <New name of the company> with effect from the date of this certificate and that the company is <limited by shares/limited by guarantee/ unlimited company>.

Given under my hand at < Name of the city where the ROC Office is located> this <Date of approval of the work item in words (i.e. FIRST, SECOND etc.)> day of <Month of approval of the work item in words> two thousand <YEAR of approval of the work item in words>

<Full name of the Authorising officer approving the work-item>

<Assistant Registrar of Companies/ Deputy Registrar of Companies/ Registrar of Companies>

Registrar of Companies

<Name of the RoC Office>

SEAL:

Registrar/Deputy Registrar of companies/Assistant Registrar of companies

(State)

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

< Name of the company >

< Address of the registered office of the company >

[F. No. 1/13/2013 CL-V, Vol.IV]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 250(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and was last amended vide number G.S.R. 392(E), dated the 7<sup>th</sup> June, 2021.